



पंजीकरण की तिथि

दिनांक:- 10/11/2023 से
09/12/2023 तक

पंजीकरण पुस्तिका

हमारा प्रयास, आपका आवास

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

सामान्य पंजीकरण-2023 के अन्तर्गत वृन्दावन योजना सं०-4, सेक्टर-13, लखनऊ में अल्प आय वर्ग (जी+3) एवं दुर्बल आय वर्ग (जी+3) प्रकार के भवनों का सामान्य पंजीकरण वर्ष 2023 में किश्त पद्धति/एक मुश्त भुगतान पद्धति पर भवन प्राप्त करने का

— सुनहरा अवसर —

रेरा पंजीकरण संख्या: UPRERAPRJ608263 LIG (G+3) रेरा की वेबसाइट: www.up-rera.in/projects

UPRERAPRJ 612494 EWS (G+3)

Toll Free No:- 18001805333 जन सुविधा केन्द्र:- 0522-2236803



UPHDBHQ www.upavp.in info@upavp.com

• एक परिचय •

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

• उद्देश्य •

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पाकों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिसके फलस्वरूप परिषद योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जाना।

• योजना का विशेष आकर्षण •

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ रायबरेली रोड पर स्थित वृन्दावन योजना, लखनऊ के नाम से आवासीय योजना संचालित है सम्पूर्ण योजना का क्षेत्रफल 2807 एकड है योजना के प्रमुख आर्कषण निम्नवत हैं-

- ▶ प्रदूषण मुक्त वातावरण हेतु योजना में कालिन्दी वन तथा राधा निकुंज जैसे उत्कृष्ट पार्क एवं हरियाली युक्त वातावरण ।
- ▶ सामान्य जन सुविधायें जैसे सड़क, पेय जल, विद्युतीकरण, डेनेज एवं एस०टी०पी० व्यवस्था ।
- ▶ स्कूल तथा उच्च स्तरीय सामुदायिक/व्यवसायिक केन्द्र के निकट ।
- ▶ देश के सुप्रसिद्ध संजय गांधी स्नाकोत्तर आर्युविज्ञान संस्था के निकट ।
- ▶ चौधरी चरण सिंह इन्टरनेशनल एयरपोर्ट 8 किमी० दूरी पर ।
- ▶ मेदान्ता मेडीसिटी 5 किमी० दूरी पर ।
- ▶ इस्कॉन मन्दिर 8 किमी० की दूरी पर, लुलु मॉल 6 किमी० की दूरी पर ।
- ▶ सुपर स्पेशलिटी कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, सीजी० सिटी 9 किमी० की दूरी पर ।
- ▶ चारबाग रेलवे स्टेशन 12कि०मी० तथा लखनऊ के प्रसिद्ध व्यवसायिक केन्द्र हजरतगंज से केवल 14.4 किमी० की दूर ।
- ▶ इकॉना स्टेडियम लखनऊ 11 किमी० की दूरी पर ।
- ▶ उत्तरेठिया रेलवे स्टेशन मात्र 2 किमी० की दूरी पर ।
- ▶ भूकम्परोधी निर्माण ।
- ▶ आवागमन की समुचित व्यवस्था ।

• परियोजना से संबंधित घोषणाएं •

- ▶ परियोजना स्थल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित वृन्दावन योजना सं०-4 जनपद लखनऊ हेतु विधिवत अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर सेक्टर-13 में प्रस्तावित है ।
- ▶ परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवादरहित है ।

• भवनों का विवरण •

क्र. सं.	योजना का नाम	संपत्ति का प्रकार	संपत्ति की संख्या	कार्पेट एरिया (वर्ग मी०)	सुपर एरिया क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	मानक भवन का मूल्य तृतीय तल (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)		किश्त पर आवंटित भवनों हेतु 60 दिन के अंदर जमा की जाने वाली धनराशि (रु० लाख में)		अवशेष धनराशि 180 मासिक किश्तों में (रु० में)
							सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	वृन्दावन योजना संख्या- 4 सेक्टर- 13, लखनऊ	दुर्बल आय वर्ग (जी+3)	480	27.00	39.40	18.96	0.94	0.47	0.95	1.42	18862.00
2.		अल्प आय वर्ग (जी+3)	576	40.00	59.40	29.87	1.50	0.75	1.50	2.25	29691.00

नोट-

1. पंजीकरण पुस्तिका में घोषित मूल्य तृतीय तल के लिए है।
2. भवनों के आवंटन के उपरान्त अंतिम रूप से लागत का आकलन मूल्यांकन निर्देशिका के अनुसार वास्तविक लागत पर किया जाएगा।
3. दुर्बल आय वर्ग के आवेदक हेतु अधिकतम वार्षिक आय रु० 3.00 लाख एवं अल्प आय वर्ग आवेदकों हेतु अधिकतम वार्षिक आय रु० 6.00 लाख अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
4. भविष्य में भवनो/ब्लाको का रख-रखाव आवंटियों द्वारा स्वयं समूह बनाकर किया जा सकता है। इस संबंध में परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

• भवनों के भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल हेतु मूल्य निम्नवत है •

दुर्बल आय वर्ग भवन	भूतल	रु० 20.75 लाख
	प्रथम तल	रु० 19.28 लाख
	द्वितीय तल	रु० 19.12 लाख
अल्प आय वर्ग भवन	भूतल	रु० 33.27 लाख
	प्रथम तल	रु० 30.49 लाख
	द्वितीय तल	रु० 30.18 लाख

• भवनों की विशिष्टियाँ •

स्ट्रक्चर	प्रेमस्ट्रक्चर (भूकम्परोधी निर्माण)
चौखट	एम0एस0 आयरन चौखट
दरवाजे	फ्लश डोर शटर्स 30 एम0एम0 आई0एस0आई0 मार्क विद आक्सीडाइज्ड एम0एस0 फिटिंग्स
खिड़कियाँ	एम0एस0 आयरन जेड सेक्शन/शटर्स एवं ग्रिल ग्लास सहित
फर्श	लिविंग बेडरूम एवं किचन में विट्रीफाइड टाइल्स (600mm x 600mm), बाथ एवं डब्लू0सी0 फर्श में एन्टीस्किड एवं दीवारों पर चाइना ग्लेज्ड टाइल्स
किचन टाप	20mm. Thick बडौदा ग्रीन किचन टाप
किचन सिंक	आई0एस0आई0 मार्क स्टील किचन सिंक
रंग रोगन	अन्दर दीवारों एवं सीलिंग पर बिरला पुट्टी बेस के साथ 2 कोट ऑयल बाउन्ड डिस्टेम्पर, बाहरी दीवाल पर बिरला पुट्टी बेस के साथ 2 कोट वेदर पेन्ट, फिनिशिंग एवं ग्रिल पर एनेमेल पेन्ट फिनिशिंग
स्टेयर केस/ कॉरीडोर	कोटा स्टोन/फ्लोरिंग, एम0एस0 आयरन रेलिंग के साथ
जलापूर्ति	एक ब्लाक के समस्त भवनों हेतु एक संयुक्त आर0सी0सी0 टैंक
विद्युत	कन्सील्ड पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाइप एवं कापर वायरिंग का प्राविधान

• प्राविधान/शर्तें •

1. भवन का कब्जा रेरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।
2. भवन की टाइप डिजाइन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
3. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति देय होगी।
4. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधान लागू होंगे।

• एक मुश्त भुगतान का विकल्प देने पर •

- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जायेगी।

• किश्तों में भुगतान का विकल्प देने पर •

- सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की **Schedule-c** की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमें एग्रीमेन्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

• 1-भुगतान का तरीका •

- 1.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
 - 1.2 सम्पत्ति को सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से आवेदक को आवंटित किया जायेगा।
 - 1.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार, निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
 - 1.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।
 - 1.5 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की **Schedule-c** की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में आवंटी द्वारा परिषद की नोटिस के बावजूद दो लगातार किश्तों में भुगतान की त्रुटि की दशा में, आवंटी **MCLR+1%** की दर पर ब्याज अदा करेगा। परिषद की नोटिस के बावजूद यदि आवंटी द्वारा लगातार तीन किश्तों के भुगतान में **Default** किया जाता है तो परिषद द्वारा आवंटन निरस्त किया जायेगा और बुकिंग धनराशि की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। इसके साथ ही अनुबन्ध निरस्त हो जायेगा।
- 1.6 पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से **RTGS/NEFT** ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। प्रदेशन पत्र में अंकित समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगा।

नोट:-

- अपरिहार्य परिस्थितियों में भवन के मूल्य में वृद्धि होती है तो 30प्र0 भूसम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016, 30प्र0 भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 तथा भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) (विक्रय/पट्टा के लिये करार) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- **MCLR+1%** का आशय किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **MCLR+1%** के विषय में प्रदान किये जाने वाले आउटलुक के आधार पर वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित दर होगी जिसे प्रत्येक 6 माह में पुनरीक्षित किया जा सकता है।

• 2-आवंटन नियम •

- आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी। परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लॉटरी ड्रॉ में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किशतों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जायेगी।
- लॉटरी ड्रॉ से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें लॉटरी ड्रॉ हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से कार्यालय को सूचित करेगा, तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लॉटरी ड्रॉ की तिथि एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा उक्त के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- सम्पत्ति आवंटन हेतु लॉटरी ड्रॉ की नियत तिथि, समय व स्थान की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लॉटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से ड्रा से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी। लॉटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लॉटरी ड्रॉ के पश्चात् परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/ व्यक्तिगत/ ऑनलाइन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, वह उसी उपयोग में लायी जायेगी। उक्त शर्त के अतिरिक्त उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।

• 3- पंजीकरण हेतु पात्रता •

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।
- 3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा 30प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.5 दुर्बल आय वर्ग के आवेदक हेतु अधिकतम वार्षिक आय **₹0 3.00 लाख** एवं अल्प आय वर्ग आवेदकों हेतु अधिकतम वार्षिक आय **₹0 6.00 लाख** अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

4- पंजीकरण के नियम

- 4.1 ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in के मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक “Online Registration For Plots/Houses/Flats” पर क्लिक करेंगे।
- 4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- 4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारीयों भली-भाँति पढ़कर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- 4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- 4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
- 4.6 अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटनी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं शेष 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुनर्जीवन अथवा 1 वर्ष में से जो भी पहले हो के अनुसार वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा। बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त धनराशि जमा कराई जायेगी।
- 4.8 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, जिससे आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5- आरक्षण

क्र.स.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4.	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7.	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	5	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
8.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

• श्रेणी •

- 5.1 आरक्षण कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण कोड को भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 5.2 उ०प्र० के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

• 6- असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी •

- 6.1 असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

• 7- भवनों का भौतिक कब्जा •

- 7.1 अल्प आय वर्ग भवनो का कब्जा दिनांक 15.09.2028 तक एवं दुर्बल आय वर्ग भवनो का कब्जा दिनांक 31.12.2028 तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फॉर सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **Force Majeure** की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
- 7.2 आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त आवंटी को सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार (**Agreement for sale**) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।
- 7.3 पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विक्रय विलेख के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- 7.4 आवेदक द्वारा नियमानुसार भवन के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में सेलडीड कराने से पूर्व **Schedule-c** के अनुसार करना होगा।
- 7.5 पूर्णता प्रमाण पत्र एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त कब्जा का प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद आवंटी द्वारा 03 माह के भीतर रजिस्ट्री कराकर कब्जा न लेने पर परिषद को कारपेट एरिया के आधार पर रू० 2 प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से होल्डिंग चार्ज आवंटी द्वारा देय होगा।

• 8- तथ्यों को छिपाना •

- 8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/ आवंटन/ निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

• 9- अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त •

- 9.1 चूंकि यह योजना आवासीय है, अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- 9.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

- 9.4 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- 9.5 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 9.6 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

• आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड) •

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछडा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

• मुख्य परिभाषायें •

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार:-

आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

भूखण्ड/भवन:-

“भवन या मकान” शब्द में “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति:-

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित भवन/फ्लैट से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना):-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। प्रत्येक सम्पत्ति के पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी।

पंजीकरण का दौर:-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य:-

उ०प्र० राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसा कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य:-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य:-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य:-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

**रू० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित समक्ष
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
शपथ पत्र
समक्ष- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद**

मैं श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उम्र..... निवासी.....
..... शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि:-

- 1) मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों/शर्तों/विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
- 2) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
- 3) जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के नाम परिषद का कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।
- 4) मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती..... जो रिश्ते में मेरे/मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमतीजो मेरे/मेरी..... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
- 5) मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6) मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।
- 7) मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिया है तो मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

• आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची •

लिंग	कोड
स्त्री	f
पुरुष	m
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW

भुगतान	कोड
नकद	1
किश्त	2
सम्पत्ति का प्रकार	कोड
अल्प आय वर्ग	LIG
दुर्बल आय वर्ग	EWS

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछडा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	कोड संख्या
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

• आनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक •

क्रमांक	श्रेणी	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं०
1.	दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु	HDFC BANK LTD, SP DENTAL College Telibagh, Raibareli Road, Lucknow	श्री विकास कुमार सिंह	8545845983
2.	अल्प आय वर्ग भवन हेतु	ICICI BANK TC14 V-IV Vibhutikhand Gomti Nagar Near Hotel Hayaat Lucknow	श्री कुनाल चैटर्जी	9415297118

योजना में पंजीकरण एवं आवंटन संबंधी जानकारी के लिए परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

<p>श्री नरेश कुमार सम्पत्ति प्रबन्धक (वृन्दावन योजना लखनऊ) मो०. नं०.: 8189081102</p>	<p>श्री हिमांशु कुमार गुप्ता उप आवास आयुक्त (लखनऊ जोन) मो०. नं०.: 8189081005</p>
--	--

योजना के क्रियान्वयन/निर्माण की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

<p>इं० के०पी० त्रिपाठी अधीक्षण अभियन्ता (वृन्दावन वृत्त, लखनऊ) मो०.नं०.: 8795810112</p>	<p>इं० अभिषेक नाथ तिवारी अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड लखनऊ-05) मो०.नं०.: 8795811677 (अल्प आय वर्ग भवन हेतु)</p>	<p>इं० सुनील कुमार अरोड़ा अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड लखनऊ-02) मो०. नं०.: 7705002896 (दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु)</p>
---	---	---

नामांकन पत्र

आवेदक का एकल फोटो
अथवा
संयुक्त रूप से पति पत्नी

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज
फोटो (हस्ताक्षर इस प्रकार किया जाये कि
आधा फोटो के ऊपर व आधा फार्म पर हा

नामांकन/ Nomination

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर
श्री/श्रीमती जो रिश्तों में मेरे/मेरी
..... है को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

पूर्ण पता

.....
.....

सम्पर्क सूत्र:-

परिषद ई-मेल :jsk@upavp.com

वेबसाइट :www.upavp.in

टोल फ्री नम्बर :1800-180-5333

जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं० :0522-2236803

• आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश •

- पंजीकरण आवेदन शुल्क **₹1000/-** (रूपये एक हजार मात्र) के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल **₹1180/** आनलाइन जमा करना होगा।
- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट **www.upavp.in** के मुख्य पृष्ठ (**Homepage**) के लिंक **“Online Registration For Plots/Houses/Flats”** पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर **“Apply Online”** लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (**Basic Informations**) यथा- नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा **‘Submit’** बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- **‘Submit’** करने के उपरान्त आवेदक द्वारा **‘Confirm’** करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक **‘Submit’** पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण, (**Step-1**) की ई-रसीद (**E-Receipt**) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- आवेदन पत्र में अंकित लिंग (**SEX**) कॉलम में पुरुष हेतु **‘M’** एवं महिला हेतु **‘F’** भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु **‘HW’** भरें।
- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित **“आरक्षण”** नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।


• पंजीकरण धनराशि का भुगतान •

उपरोक्तानुसार ऑन-लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ➡ Visit website **www.upavp.in** & click on link "**Online Registration of Plots**"
- ➡ Click on concerning scheme's webpage link.
- ➡ Click '**Apply Online**' link & provide basic details and property.
- ➡ Please verify the registration details and click '**Confirm**' button.
- ➡ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/ Debit/Credit Card**.
- ➡ If applicant selected '**E-Challan**' payment mode, then '**E-Challan**' will be generated.
- ➡ Take the printout of '**E-Challan**' and pay Registration fee at nearest **Bank's Branch**.

उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।


Layout Plan



भवन का प्रकार

अल्प आय वर्ग


LIG CLUSTER PLAN



क्लस्टर प्लान

भवन का प्रकार

अल्प आय वर्ग




यूनिट प्लान

L1G UNIT PLAN
SUPER BUILTUP AREA - 59.40 SQ.MT.
CARPET AREA- 40.00 SQ.MT.

भवन का प्रकार

दुर्बल आय वर्ग




यूनिट प्लान

EWS UNIT PLAN
SUPER BUILTUP AREA - 39.40 SQ.MT.
CARPET AREA- 27.00 SQ.MT.

भवन का प्रकार

दुर्बल आय वर्ग



क्लस्टर प्लान

परिषद में
ग्राहकों की शिकायतों
व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधाकेन्द्र

की स्थापना की गई है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी
शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डॉयल करें

1800-180-5333 (टोल फ्री)

0522 - 2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः- 10:00 बजे से
रात्रि 09:00 बजे तक उपलब्ध है।



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

Toll Free No:- 18001805333 जन सुविधा केन्द्र:- 0522-2236803



www.upavp.in



info@upavp.com